संक्षिप्त

विवाहिता की हत्या का आरोप

भरतपुर (निस)। भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला के पीहर पक्ष को शक है कि कीर्ति की हत्या उसके ससुराल वालों ने की है। ससुराल वाले कीर्ति को दहेज के लिए परेशान करते थे। कीर्ति के गले पर निशान भी मौजूद हैं। रोहित निवासी बसैया थाना अछनेरा जिला आगरा ने बताया कि मेरी छोटी बहन कीर्ति की शादी 5 साल पहले पवन निवासी इकरन थाना चिकसाना के साथ हुई थी। मेरे परिवार वालों ने शादी में करीब 8 लाख रुपये खर्च किए थे। शादी के बाद से ही कीर्ति का पति पवन, सास फूलो देवी, ससुर घमंडी सिंह, देवर देव वीर सिंह, शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। दहेज की मांग को लेकर कीर्ति के ससुराल उसके साथ मारपीट करते रहे। मारपीट के बारे में कीर्ति ने अपने पीहर पक्ष से कई बार शिकायत कि लेकिन, कई बार पंचायत आयोजित करवाई गई। जहां कीर्ति के पीहर पक्ष ने हमेशा यह विश्वास दिलाया कि अब वह कीर्ति के साथ मारपीट नहीं करेंगे और न ही दहेज मांगेंगे। कीर्ति का देवर देव वीर फौज में नौकरी करता है उसका भी विवाद उसकी पत्नी से चल रहा है। देव वीर की सह पर ही कीर्ति के साथ मारपीट की जाती थी। 3 महीने पहले कीर्ति ने अपने भाई रोहित को बताया था कि देव वीर ने फोन कर अपने परिवार वालों से कहा था कि वह कीर्ति की हत्या कर दें। उसके बाद वह पवन की शादी कहीं दूसरी जगह करवा देंगे। 6 अप्रैल को रोहित के पास एक फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया की कीर्ति की मौत हो गई है। कीर्ति के पीहर पक्ष के लोग तुरंत उसके ससुराल पहुंचे। ससुराल में कीर्ति का शव पड़ा हुआ था। कीर्ति के गले पर निशान थे। जिसके बाद उसे तुरंत आरबीएम अस्पताल लेकर जाया गया। चिकसाना थाना पुलिस ने कीर्ति के शव का पोस्टमार्टम करवाया। कीर्ति के भाई को शक है कि कीर्ति का गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ ग्रामीण कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि कल के महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है। महिला के परिजनों ने शिकायत दी है। मामले की जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

दो बालिकाओं का सम्मान

फुलेरा। कस्बे के इन्द्रा बाजार स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, फुलेरा की दो छात्राओं के इंस्पायर अवार्ड में चयनित होने पर मंगलवार को विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्या नविता वर्मा ने की। इस अवसर पर छात्राएं देवांशी गौड़ एवं वंशिका सैनी को इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित होने पर विद्यालय परिवार की ओर से माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्या ने दोनों छात्राओं की उपलब्धि को विद्यालय के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए अन्य छात्राओं को भी प्रेरणा लेने का संदेश दिया। कार्यक्रम में अनिता पीटर्स, कमला बागड़ी, ललितमोहन शर्मा, मधुबाला वर्मा, सपना कुमावत, नरबहादुर सिंह, बाबूलाल गढ़वाल, गिरीराज सांभरिया, धर्मराज खांडेकर, चन्द्रशेखर त्यागी, एकता वर्मा, राहुल बोदल्या, तरुणा बंसल, अनिता कुमारी, मिनाक्षी मीणा, नीलम राव सहित समस्त स्टाफ एवं विद्यालय की छात्राएं उपस्थित रहीं।

भाजपा नेताओं का स्वागत

फुलेरा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के. लक्ष्मण, महामंत्री निखिल आनंद, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, राजस्थान भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र कुमावत एवं महामंत्री सुनील यादव सहित कार्यकारिणी पदाधिकारियों के फुलेरा आगमन पर फुलेरा के पूर्व विधायक निर्मल कुमावत की ओर से भव्य स्वागत किया गया। सुरेश सैनी मार्बल ने बताया कि इस दौरान आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में संगठन की मजबूती, सामाजिक समरसता एवं आगामी रणनीतियों को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

पावटा में दिनदहाड़े दो सूने मकानों में चोरी

पावटा, (निसं)। भाबरू थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में दिनदहाड़े चोरों ने सूने मकानों को निशाना बनाते हुए नकदी और लाखों रुपए के जेवरात पार कर दिए। जानकारी के अनुसार, बीरबल यादव अपने परिवार के साथ खेत में फसल काटने गए हुए थे। इसी दौरान चोर उनके घर में घुस गए और बक्सों के ताले तोड़कर सामान खंगाल डाला। चोरों ने सरबो देवी के करीब 20 हजार रुपए नकद व सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए।

- **नकदी और लाखों रुपए के जेवरात ले गये चोर**
- **चोरों ने सरबो देवी के करीब 20 हजार रुपए नकद व सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए**
- **ग्रामीणों ने भाबरु थाना पुलिस से जल्द से जल्द चोरों का खुलासा करने की मांग की**

पावटा में भाबरू थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में दिनदहाड़े चोरों ने सूने मकान में चोरी की।

वहीं पास ही मेवा देवी पत्नी भोमाराम यादव के घर से करीब 50 हजार रुपए नकद और जेवरात चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद घरों में सामान बिखरा मिला, जिससे साफ है कि चोरों ने आराम से पूरे घर की तलाशी ली। सूचना मिलते ही भाबरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई भोलाराम और कांस्टेबल मुकेश मीणा ने घटनास्थल का मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व प्रधान महादेव प्रसाद यादव सहित कई ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए।

ग्रामीणों ने भाबरु थाना पुलिस से जल्द से जल्द चोरों का सुराग लगाकर वारदात का खुलासा करने की मांग की है। गौरतलब है कि दिनदहाड़े हुई इस चोरी की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं।

शिविर में 21 रोगियों का सफल आपरेशन

निवाई। दिगंबर जैन महासमिति एवं लायंस क्लब के तत्वावधान में राजकीय उप जिला अस्पताल में अंधता नियंत्रण समिति के सहयोग से नि:शुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। जिसमें 127 रोगीयों की जांच कर 21 रोगीयों को ऑपरेशन हेतु चयन कर नि:शुल्क लैंस प्रत्यारोपण करवाया गया। लैंस प्रत्यारोपण के बाद हुकमचंद जैन, महेंद्र लावा, विमल जौला, हनुमानसहाय जैन, महावीरप्रसाद छाबड़ा, अनिता छाबड़ा, शकुंतला छाबड़ा, पीएमओ डॉ. योगेन्द्र विजय, डॉ. राजेश जैन, डॉ. आकांक्षा तंवर, कम्पाउन्डर राजऋषि जांगीड़ सहित समिति के कई सदस्यों द्वारा रोगियों को अल्पाहार एवं नि:शुल्क चश्मा वितरित किया गया। महासमिति संभाग अध्यक्ष हुकमचंद जैन ने नेत्र रोगियों को आंखों की सुरक्षा हेतु धूप, धूल मिट्टी, पानी व धूंआ से बचाव की जानकारी देते हुए बताया कि आपरेशन की गई आंख को मसलना एवं किसी भी प्रकार का झटका देना आंख को नुक्सान पहुंचा सकता है। इस दौरान सभी रोगीयों को अपने आसपास के जरुरत मंद लोगों को अगले शिविर में नि:शुल्क आपरेशन करवाने के लिए प्रेरित किया।

सार-समाचार

टोंक स्कूलों में 'कोर्ट वाली दीदी' बॉक्स लगाए

टोंक। टोंक में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 'ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे' अभियान के तहत न्यायिक अधिकारी विभिन्न स्कूलों में पहुंचे। विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, विधिक अधिकार और मानसिक-सामाजिक चुनौतियों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान स्कूलों में 'कोर्ट वाली दीदी' शिकायत बॉक्स भी लगाए गए, जिससे छात्र अपनी समस्याएं गोपनीय रूप से साझा कर सकेंगे। साथ ही विद्यार्थियों को राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930, चाइल्डलाइन 1098 और नालसा टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान स्कूलों में 'कोर्ट वाली दीदी' नाम से शिकायत बॉक्स भी स्थापित किया गया। विद्यार्थियों द्वारा इसमें डाली गई शिकायतों का निस्तारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक द्वारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश जलुथरिया ने बताया कि कार्यक्रम के तहत राजकीय विद्यालय गुलजारबाग, कोटीनातमाम, दरबार, कोहना, न्यू टोंक, बाहिर एवं निजी विद्यालय जैसे विवेकानंद, मदरलैंड, संस्कृति विद्यालय में शिविर आयोजित किए गए। इसके अलावा तालुका मुख्यालयों के विभिन्न राजकीय और निजी स्कूलों में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को मुख्य रूप से दो विषयों पर जानकारी दी। 'एम्पावरिंग यूथ' और 'साइबर जागरूकता (स्टे सेफ ऑनलाइन) एम्पावरिंग यूथ सत्र में विद्यार्थियों को मानसिक तनाव, भावनात्मक दबाव, बुलिंग, पारिवारिक अपेक्षाएं और सामाजिक तुलना जैसी समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें समझाया गया कि इन समस्याओं का समाधान परिवार, शिक्षक और परामर्श के माध्यम से किया जा सकता है और वे अपनी परेशानियों को खुलकर साझा करें। साथ ही, विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और उपलब्ध सहायता तंत्र के बारे में भी जानकारी दी गई। साइबर जागरूकता सत्र में विद्यार्थियों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाली साइबर बुलिंग, फर्जी अकाउंट, बिना अनुमति फोटो साझा करना, धमकी, स्टॉकिंग और ब्लैकमेलिंग जैसी गतिविधियों के बारे में बताया गया, जो कानूनन दंडनीय हैं। सचिव जलुथरिया ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, चाइल्डलाइन 1098 और नालसा टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 के बारे में जानकारी दी। एक कोर्ट वाली दीदी नाम का शिकायत बॉक्स भी लगाया गया। इसमें आने वाली बच्चों की शिकायत का निस्तारण भी किया जाएगा।

हिस्ट्रीशीटर पर 40 हजार रूपये का इनाम घोषित

भरतपुर (निस)। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज कैलाश चन्द्र विश्नोई ने आदेश जारी कर कुख्यात इनामी हिस्ट्रीशीटर अपराधी अमित गौतम पुत्र सुभाष निवासी शास्त्री नगर, सेक्टर नम्बर 05, पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर पर 40 हजार रूपये का नकद इनाम घोषित किया है। उन्होंने बताया कि अपराधी अमित गौतम लम्बे समय से फरार चल रहा है, जो जिला पुलिस के भरसक प्रयासों के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। उक्त अपराधी के विरूद्ध 12 लाख रूपये की धोखाधडी करने के संबंध में मामला पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर पर पंजीबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि अपराधी अमित गौतम के विरूद्ध राजस्थान के विभिन्न थानों में साईबर ठगी एवं धोखाधडी के कुल 20 प्रकरण दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस नियम 1965 की धारा 4.18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उक्त अपराधी को बन्दी बनाने या बन्दी करवाने या बन्दीकरण का विरोध किये जाने पर विधिसंगत आवश्यक शक्ति का प्रयोग कर, बन्दी बनायेगा या बन्दी बनाने के लिये सही सूचना देगा या बन्दी करवायेगा, उसको महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर द्वारा 40 हजार रूपये का नकद पारितोषिक प्रदान किया जावेगा। पारितोषिक वितरण के सम्बन्ध में महानिरीक्षक पुलिस, रेंज, भरतपुर का निर्णय अंतिम होगा।

भरतपुर में खेत में बेहोश मिली महिला

भरतपुर के उद्योग नगर थाना इलाके में एक महिला बेहोशी की हालत में खेत में पड़ी मिली।

- **ढाबे मालिक ने देखा तो पुलिस बुलाई; पहचान की तलाश जारी**
- **महिला कांस्टेबल को उसकी निगरानी के लिए लगाया गया है। डॉक्टरों ने महिला का चेकअप किया है। महिला अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। महिला के बयान के बाद ही पता लग पाएगा कि इसके साथ कोई घटना हुई है। यह फिर यहां कैसे आई।**

भरतपुर (निस)। भरतपुर के उद्योग नगर थाना इलाके में एक महिला बेहोशी की हालत में खेत में पड़ी मिली। खेत के आसपास स्थित होटल और ढाबे मालिकों ने जब महिला को देखा तो, उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने महिला को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। महिला अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला भी अभी बयान देने की हालत में नहीं है। सीओ ग्रामीण कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि रात में हनुमान तिराहे के पास एक खेत में महिला बेहोशी की हालत में मिली थी। महिला को उपचार के लिए आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। महिला कांस्टेबल को उसकी निगरानी के लिए लगाया गया है। डॉक्टरों ने महिला का चेकअप किया है। महिला के परिजनों की तलाश की जा रही है। महिला अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। महिला के बयान के बाद ही पता लग पाएगा कि इसके साथ कोई घटना हुई है। यह फिर यहां कैसे आई। आसपास भी पूछताछ की गई लेकिन, महिला का कुछ पता नहीं लग पाया है।

'छात्र-छात्राओं को कानून की जानकारी होनी चाहिए'

निवाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सृष्टि चौधरी की अध्यक्षता में पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय निवाई, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलेई में राज्यव्यापी फ्लैगशिप व ट्रांसफर्मेटिव ट्ययूजडेज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसका उद्देश्य विद्यार्थीयों में विधिक जागरूकता, अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति समझ विकसित करने तथा सामाजिक वैधानिक विषयों के प्रति संवेदनशील बनाना है। उक्त कार्यक्रम में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवीन्द्र प्रताप सैनी व अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजलि सिंह ने संवेदनशीलता से छात्र-छात्राओं को बाल संरक्षण से जुड़े यौन शोषण, उपेक्षा एवं बाल तस्करी, बाल संरक्षण कानून, पॉक्सो व जेजे एक्ट, सामाजिक समस्याएं, नशे का दुरूपयोग एवं साथियों के प्रभाव में कोई गलत कार्य करने के कानूनी दुष्प्रभाव, मानसिक तनाव, चिंता, भावनात्मक समस्या व आत्महत्या जागरूकता, विद्यालय सुरक्षा एवं सुविधाएं, साईबर सेफ्टी, साईबर क्राईम, अपमानजनक मीम और एडिटेड फोटो, ऑनलाईन पीछा करना, ब्लैकमेल करना आदि सुरक्षा की जानी चाहिए।

खोया पाया

मेरे मकान संख्या- 05/272 का कब्ज़ा पत्र, अदेय प्रमाण पत्र कही खो गया। मिलने पर सूचित करें- चन्द्रप्रकाश सुखनानी 8690865150

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्लाट नम्बर 60 पश्चिमी हिस्सा, मोदी नगर योजना, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान का नाम हस्तान्तरण/उप- विभाजन पत्र क्रमांक डी-575 दिनांक 13.05.2015 ईस्वी को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा शीतल जाजम पुत्र श्री माना राम के नाम जारी हुआ था, उक्त नाम हस्तान्तरण/उप- विभाजन पत्र जो कहीं गुम हो गया है जिसकी रिपार्ट LR.No-3106562/ 2026 दिनांक 06.04.2026 को दर्ज करा दी गई है, यह कि शीतल जाजम पुत्र श्री माना राम ने उक्त प्लाट पर SBI Bank से लोन हेतु आवेदन किया है यदि किसी व्यक्ति/या संस्था को आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से 7 दिवस में सम्पर्क करे तथा किसी को मिले तो सूचित करे।
सुनिल कुमार मीणा अधिवक्ता मो 9929558699

आम-सूचना गोपाल लाल पुत्र श्री नानूराम ने मेरी अभिभाष्या फर्म बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि0, जयपुर की योजना शुभम् विहार, मावंडा, जयपुर के भूखण्ड संख्या-बी-67-ए, क्षेत्रफल 61.6 वर्गगज के मूल दस्तावेज गुम हो जाने बाबत गुमशुदगी रपट संख्या-LR. No. 3104434/2026 दिनांक 03 अप्रैल, 2026 को पुलिस की ईमित्र आई.डी. पर दर्ज करवाई है तथा उक्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि व बन्ध पत्र, शपथ पत्र समिति कार्यालय में प्रस्तुत किये तथा डुप्लीकेट पट्टा जारी करने बाबत समिति से कहा गया। यदि उक्त भूखण्ड का डुप्लीकेट पट्टा, रसीद व साईड प्लान जारी करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था, समिति या संगठन को कोई आपत्ति हो तो वो समिति कार्यालय में या मेरे कार्यालय में उक्त सूचना के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में उन व आपत्ति पेश करें, अन्यथा डुप्लीकेट पट्टा जारी किया जावेगा, बाद मियाद गुजरने के कोई उज्र मान्य नहीं होगा।
(हेमन्त कुमार पलोड़) एडवोकेट, मोबाईल नं. 9314511091

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक मकान नम्बर 181/197 प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर में स्थित है, जिस पर श्री किशन अवतार अग्रवाल ने एचडीएफसी बैंक लि. से ऋण लिया हुआ था, उक्त मकान के समस्त असल दस्तावेज एचडीएफसी बैंक लि. में रहन रखे हुए है।
यह कि श्री किशन अवतार अग्रवाल का देहांत दिनांक 28.09.2019 को हो चुका है तथा उक्त मकान के पेटे लिए हुए ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी बैंक लि. को की जा चूकी है, इसलिए अब श्रीमत मिथलेश पत्नी स्व. श्री किशन अवतार अग्रवाल उक्त मकान के असल दस्तावेजों को एचडीएफसी बैंक लि. से प्राप्त करना चाहती है, यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथी से सात दिवस तक की अवधि में मेरे कार्यालय में सम्पर्क करें। सूचित रहे।
सतीश गर्ग (एडवोकेट), मो.-9829060086

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि मेरे अभिभाष्य रामकिशोर बराला पुत्र श्री रामनारायण बराला, संयोजक / अधिकृत व्यक्ति अधिकार-पत्र दिनांक-27.04.2024 भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति रजि. 3122/एल की योजना बालाजी नगर, ग्राम बैनाड़ मय दौलतपुरा, तहसील-आमेर, जिला जयपुर जो खसरा नम्बर पुराना-239 नया 454/912, 455, 456, 457/913 कुल किता-4 कुल रकबा 3.84 हैक्टेयर सम्पूर्ण तयशुदा प्रतिफल की अदायगी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज काश्तकार को जरिये अनुबंध-पत्र दिनांक-15.04.1992 अतिरिक्त अनुबंध-पत्र दिनांक-01.11.1996 व 05.02.1999 कर भूमि का कब्जा दिनांक-15.04.1992 को प्राप्त कर आवासीय कॉलोनी विकसित / सृजित की गयी थी, जिस पर प्लॉट धारक काबिज है। उक्त संव्यवहार से काश्तकार के समस्त वारिस, उत्तराधिकारी इत्यादि पूर्णतः पाबन्द है, कोई भी व्यक्ति, संस्था, निकाय, वित्तीय संस्था या बैंक उक्त वर्णित भूमि में उक्त काश्तकार या उसके वारिस इत्यादि से किसी भी प्रकार का संव्यवहार न करे, न ही किसी भी प्रकार का भार, चार्ज उपगत करे, बावजूद सूचना के कोई भी संव्यवहार, भार, चार्ज इत्यादि किया जाता है, तो मेरे अभिभाष्य के अधिकारो के प्रति प्रभावशून्य होगा। अतएव: सूचित रहें।
जयपुर सतीश मोदी (एडवोकेट)
दिनांक : 07.04.2024 मो.-93148-33316

सम्मन बनाम मुद्दायलाल बिनावर कायमी तनकीहात
(आर्डर 5 रूल 1 व 5, जाब्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर जालोर जिला जालोर
बइजलास मनोज चौधरी R.A.S.
मुदई किशनलाल मुद्दायलाह धीरीया वगैरा
दावा बाबत बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्व मूल मुकदमा नं. 202602124200019/2026
बनाम-धीरीया पुत्र मोती, जाति बागरी, निवासी सुमेरगढ, तहसील व जिला जालोर हरगाह कि वादी किशनलाल पुत्र गोपाराम ने आपके खिलाफ एक दावा बाबत बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दायर किया है, लिहाजा आपको बजरिये इस तहरीर के दावे की जवाबदेही के लिए तारीख 06 माह 05 सन् 2026 को 10:00 AM बजे दिन के अदालत हाजा में असालतन मारफत ऐसे वकील के जो हालात मुकदमें से वाकिफ किया गया हो व कुल अमूर अहम मुतालिके का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई ऐसा शख्स हो जो ऐसे सवालात का जवाब दे सके, हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और आपको हिदायत दी जाती है कि जुमये दस्तावेज जिन पर आप अपनी जवाबदेही का ताईद में इस्तकबाल करना चाहते हो उस दिन पेश करों।
आगाह कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर नहीं हुए तो दावा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसला किया जावेगा।
वसिका मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में आज तारीख 01 माह 04 सन् 2026 को जारी किया गया।
मोहर अदालत आज्ञा से-रीडर (एस.डी.ओ.) जालोर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय समक्ष जविप्रा अपीलीय अधिकरण, जयपुर
अरविन्द गर्ग व अन्य
विरूद्ध
JDA व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र :- अपील
प्रार्थना पत्र संख्या :- 183/2026
स्थागत प्रार्थना पत्र :- 321/2026
नाम नवीन शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा पता- 157 हिम्मत नगर, टोंक रोड, गोपालपुरा मोड के पास, जयपुर उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न। अत: आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 08 माह 04 सन् 2026को 10 पूर्वाह में स्वंयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज तारीख 30 माह 3 सन् 26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर मुन्सरिम
अपीलीय न्यायालय
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

MUNICIPAL CORPORATION JAIPUR
(Pandit Deendayal Uppadhyay Bhawan Lalkothi Tonk Jaipur 302015)
No. F-6()DCR-FIRST (J.S)/RO.LIC/N.N.J/2026/954 Date : 06-04-2026
PUBLIC NOTICE
The licensee M/s/ Indus Tower Limited Jaipur (Particulars of Licensee) has submitted application in this office for granting permission for erection/installation of telecom tower aboveground telegraph infrastructure on the land or building or location mentioned below :-

Sr. No.	Site ID	Address
1	IN 3506451	On Row Near By Rajasthan Roadways Bus Depo Main Kumbha Marg, Secto-8 Pratap Nagar, Ward No.103, Jaipur

Therefore, it is hereby informed to all concerned that if, any body has any objection or suggestion on granting permission for installation or establishment of above mentioned telecom infrastructure on the land/location above, he may submit objection or suggestion along with supporting documents before the undersigned during office hours on any working day within 7 days of the publication of this notice.
In absence of any objection/ suggestion within above stipulated time it any be deemed that nobody has objection/suggestion and matter will be disposed off accordingly.
Deputy Commissioner (Revenue-I)
Municipal Corporation, Jaipur

अलवर जिला अस्पताल में सात दिन में ही पीएमओ को बदला

अलवर, (निसं)। अलवर जिला अस्पताल में सात दिन में अचानक पीएमओ को बदलने पर सैनी समाज ने इसे राजनेतिक बदलाव ना बताकर एक जातिगत बदलाव होना बताया है। सैनी समाज ने इस बदलाव पर संजय शर्मा पर जातिगत आरोप लगाया है। पहले विभागीय स्तर पर सेवानिवृत्त डॉ. सुनील चौहान की जगह डॉ. पीसी सैनी को नियुक्त किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए डॉ. प्रवीण शर्मा को यह जिम्मेदारी दे दी।

डॉ. प्रवीण शर्मा पहले जिला अस्पताल में ट्रॉमा इमरजेंसी के इंचार्ज थे। डॉ. सुनील चौहान लगभग सात साल तक पीएमओ पद पर रहे और 31 मार्च को रिटायर हो गए। उनकी जगह विभागीय प्रक्रिया के तहत डॉ. पीसी सैनी को कार्यभार सौंपा गया, पर सरकार को यह फैसला मंजूर नहीं हुआ। महज सात दिन में ही उन्हें हटा दिया गया और अचानक डॉ. प्रवीण शर्मा के आदेश जारी कर दिए गए। खबर फैलते ही अस्पताल स्टाफ में सबसे ज्यादा चर्चा यही थी कि डॉ. पीसी सैनी को इतनी जल्दी क्यों बदला गया। बाद में स्पष्ट हुआ कि यह बदलाव पूरी तरह सरकार के स्तर से किया गया है। कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद नए पीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश मिले हैं। अब हम अलवर जिला अस्पताल को नंबर एक बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, फिलहाल यहां पार्किंग की समस्या है और कुछ निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। इन्हें जल्द व्यवस्थित कराया जाएगा। इधर सैनी समाज ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अलवर सैनी महासभा जिला अध्यक्ष पूर्णमल सैनी ने बताया कि 7 दिवस पूर्व डॉ. प्रेमचन्द सैनी को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का कार्यभार मिला था।

शहर के विकास की दिशा में एक और सार्थक कदम

- **कृष्णा नगर चौराहे पर सर्किल का कराया निर्माण, सुगम होगी यातायात व्यवस्था ,**
- **पुलिस उपाधीक्षक शहर ने किया लोकार्पण**

भरतपुर (निस)। शहर में बढ़ती यातायात समस्याओं के समाधान हेतु समृद्ध भारत अभियान द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए कृष्णा नगर चौराहे का विकास कर उसे व्यवस्थित सर्किल के रूप में तैयार किया गया। इस नव विकसित चौराहे का विधिवत लोकार्पण पुलिस उपाधीक्षक (शहर) नरेन्द्र कुमार द्वारा फीता काटकर किया गया।

चौराहे के विकास कार्य को संस्था के निदेशक सीताराम गुप्ता के निर्देशन में पूर्ण किया गया। यातायात को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ड्रमों का आकर्षक सर्किल बनाया गया है, जिनमें पौधारोपण कर हरित सौंदर्य भी जोड़ा गया है। यह पहल न केवल ट्रैफिक नियंत्रण में सहायक होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है।

ज्ञातव्य है कि काली की बगीची से आरबीएम हॉस्पिटल तक फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते कन्नी गुजर चौराहे से यातायात बंद कर दिया गया है। ऐसे में वाहनों का दबाव कृष्णा नगर चौराहे पर बढ़ गया था। पूर्व में यहां किसी प्रकार का सर्किल या ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था नहीं होने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। इस समस्या के समाधान हेतु समृद्ध भारत अभियान द्वारा यह महत्वपूर्ण कार्य किया गया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस उपाधीक्षक नरेन्द्र कुमार ने कहा कि शहर में सुचारू यातायात संचालन हेतु पुलिस निरंतर प्रयासरत है, लेकिन कई स्थानों पर आधारभूत संरचना के अभाव में चुनौतियाँ बनी रहती हैं। उन्होंने कृष्णा नगर चौराहे पर बनाए गए सर्किल की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए भी प्रेरणादायक है। साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि शहर में अभी कई ऐसे चौराहे हैं, जहां इस प्रकार के सर्किल निर्माण की आवश्यकता है।

इस अवसर पर संस्था के राज्य समन्वयक पुनीत गुप्ता ने बताया कि समृद्ध भारत अभियान भविष्य में भी शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर इस प्रकार के सर्किल विकसित करने की योजना पर कार्य कर रहा है।

उन्होंने जानकारी दी कि कृष्णा कॉलोनी में भी इसी प्रकार का एक और सर्किल तैयार किया जा चुका है। उन्होंने आश्वस्त किया कि संस्था जनहित एवं सामाजिक कार्यों में निरंतर सक्रिय भूमिका निभाती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान सीडीपीओ कुम्हेर महेन्द्र अवस्थी, रामचरण धाकड़, सचिन, राम किशन, शैलजा शर्मा, पूनम सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक एवं स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।

प्रतिभा सम्मान समारोह 11 को

फुलेरा। कस्बे के सांभर बायपास रोड स्थित सैनी फार्म हाउस में महात्मा ज्योतिबा फुले संस्था, तहसील फुलेरा की बैठक तहसील अध्यक्ष रामगोपाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

तहसील महामंत्री भंवरलाल राजौरा ने बताया कि आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:15 बजे महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल, फुलेरा स्थित प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि से होगी।

इसके बाद अतिथियों का स्वागत एवं उद्बोधन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर 10वीं व 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं, खेलकूद में जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं, राजकीय सेवा में चयनित अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान आगंतुकों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी।

सायं 4:15 बजे माली समाज भवन, श्रीरामनगर में महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर प्रश्नोत्तरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सामूहिक प्रतिभोज का आयोजन किया जाएगा।

बैठक के दौरान नगर अध्यक्ष पूरणमल सैनी, सावित्रीबाई फुले प्रकोष्ठ की नगर अध्यक्ष वंदना सैनी तथा ठाام सैनीपुरा के अध्यक्ष अशोक कुमार सैनी सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों को उनके पदों की शपथ दिलाई गई।

जंगली जानवर ने नौ बकरियों को बनाया शिकार

लोहार्गल में ज्ञान बावड़ी के पास बाड़े में बंधीं नौ बकरियों को जंगली जानवर ने हमला कर मार दिया।

- **ग्रामीणों को आए दिन भारी नुकसान होने से ग्रामीण भयभीत**

खिरोड़। लोहार्गल में ज्ञान बावड़ी के पास नंदूसिंह पुत्र मांगूसिंह के घर पर बाड़े में बंधीं नौ बकरियों को सोमवार की रात में किसी अज्ञात जंगली जानवर ने हमला कर मार दिया। नंदूसिंह के घर कुल नौ बकरियां ही थी। जिनको अज्ञात जानवर ने मार दिया। सूचना पर वन विभाग के रेंजर सुरेंद्रसिंह, पटवारी अल्ताफ मौके पर पहुंच कर मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की। पशु चिकित्सक बलदेव चौहान ने मृत बकरियों का पोस्टमार्टम किया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले इसी क्षेत्र में दो बघेरे ग्रामीणों के द्वारा देखे गए थे। ग्रामीणों का मानना है कि शायद बघेरे ने हमला किया होगा। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वन विभाग के रैंजर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मौका मुआवजा कर रिपोर्ट तैयार कर दी है। पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाएगा। अज्ञात जानवर के पदचिह्न नहीं मिलने अभी जानवर की पुष्टि नहीं हुई है। इधर चिराना, लोहार्गल, लोहारड़ा, गोल्याणा एवं रामपुरा क्षेत्र में आए दिन ऐसी घटनाएं होने पर ग्रामीण अपने पशुओं को लेकर काफी परेशान एवं भयभीत है। पशुपालकों को इन जानवरों के चलते काफी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस पहाड़ी इलाके में जगह-जगह वन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात किए जाने की मांग की है।

नाम परिवर्तन

मैं सुनीता सैनी पत्नी स्व. रमेश कुमार सैनी निवासी- बी-200, आनंदपुरी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर। मेरे कुछ पुराने दस्तावेजों में मेरा नाम मंजू सैनी है। बाकी सभी दस्तावेजों में सुनीता सैनी दर्ज है। जोकी दोनों नाम सुनीता सैनी उर्फ मंजू सैनी (मेरे) एक ही व्यक्ति के हैं।

I, DAULARAM, Son of Service No. JC425388P Nb/Sub HANUMAN, R/o Village Majra Mahniya, Bhindoosi Ta. Tijara, Distt. Alwar, Rajasthan-301405. My name DOULA RAM Wrongly Recorded in my son's military Records. As per Aadhaarcard my correct name is DAULARAM. affidavit No.CC601970.

I No. 4209932W NK DHARMENDRA YADAV My Father name is JAIDEV YADAV has been wrongly recorded in the military records. while according to the Aadhaarcard the correct name is JAYDEV YADAV .Affidavit no. is IN-AS22724563113293Y.

आम सूचना के लिए
मृतक प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को समन
(आदेश 22 का नियम 4)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू स्थान झुन्झुनू,
वादी-जयनारायण बनाम विरूद्ध कुरडाराम वगैरह प्रतिवादी
दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा, रिकार्ड दुरूस्ती
सिविल वाद सं. 172 / सन् 2017
प्रेषिति- श्रीमती सुशीला पत्नी मोहनराम उर्फ महेश कुमार, पुत्री तोलाराम, जाति ब्राह्मण, निवासी पन्द्राहेड़ा, तहसील टोडा रायसिंह, जिला टाँक (राज.) वादी ने न्यायालय में पूर्व में को मोहनराम उर्फ महेश प्रतिवादी नं. 11 के विरूद्ध वाद संस्थित किया था। प्रतिवादी की अब मृत्यू हो चुकी है और उक्त वादी ने यह अभिकथन करते हुये इस न्यायालय में आवेदन किया है कि आप उक्त मोहनराम उर्फ महेश प्रतिवादी नं. 11 मृतक के विधिक प्रतिनिधि है और यह इच्छा प्रकट की है कि आपको उसके बदले में प्रतिवादी बनाया जाए। आपको समन किया जाता है कि आप उक्त वाद में प्रतिरक्षा करने के लिये ता. 15.-26. को 9.30 बजे ए. एम. इस न्यायालय में हाजिर हो और यदि आप उपर बताई गई तारीख को उपसंजात नही होगें तो वाद की सुनवाई और उसका अवधारणा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
मोहर अदालत उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका किशनगढबास, खैरथल-तिजारा
क्रमांक:- 47 प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए दिनांक-06/04/2026
लोक सूचना
आवेदक खातेदार श्री जुगल किशोर पुत्र श्री तल्लूराम निवासी खटीक मौहल्ला गंज किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
किशनगढबास खैरथल-तिजारा	किशनगढबास हल्का पटवार	100/978	0.1600 है (1600 वर्गमीटर)

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर-भीतर कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मोहर के अधीन आज.... को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका किशनगढ बास, खैरथल-तिजारा